an>

Title: Further discussion on the resolution regarding steps to ensure welfare of Employees Provident Fund Pensioners moved by Shri N.K. Premchandran on 11th December, 2015 (Discussion concluded).

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to support the Resolution on the Employees Provident Fund moved by Shri N. K. Premachandran. Shri Premachandran is a noted trade unionist from Kerala working in the cashew, coir and other big industries of Kerala. He has brought this Resolution after much consideration and deliberation for which I sincerely thank him.

The Employees Provident Fund Scheme, as you know, Sir, was introduced in 1951 and another scheme, the Employees Pension Scheme, was introduced in 1995. We are also connected with the trade unions. The contribution from the employer is 12 per cent and the same percentage of amount is contributed by an employee. Out of the employer contribution of 12 per cent, 8.33 per cent goes to the pension fund and 1.16 per cent comes from the Government of India to the Employees' Pension Fund. Up to now the Employees' Pension fund has a corpus of Rs.2,38,531 crore. This is a very big amount, which is there.

Shri Premachandran brings out a few defects in the Employees' Pension Scheme in a very proper manner. I suppose the hon. Labour Minister must be listening to it. First, our demand is that from 1971 the Government's contribution has remained the same at 1.16 per cent. The contribution of the Government of India must increase.

I agree that the organised workers, who will enjoy the benefits of Provident Fund, are relatively small compared to the unorganised workers. We also know that in many States they have introduced through State Governments some pension or some provident fund schemes for the unorganised workers. But as far as the organised workers are concerned, the EPF remains their main support.

Shri Premachandran also pointed out that after much difficulty the Government of India has introduced the minimum pension as Rs.1000. I thank the Government of India because Rs.1000 per month per pensioner is a good thing. Before that, it was Rs.300 or Rs.400 etc. There is a formula for calculating pension. It is: 'Pensionable Salary x Pensionable Service / 70'. That is the amount of pension. Formally, in many cases, it fell below Rs. 1,000. Now, pension of at least Rs. 1,000 has been ensured. Mr. Premachandran has made a demand that this minimum pension should be increased to Rs. 3,000. I fully support his demand of making the minimum pension Rs. 3,000.

Now, some big points are there. Formally, there is a provision for commutation from pension fund under which I could take certain amount of money from my pension fund and that would be deducted from the monthly pension payable. Now, even after the commuted amount is paid off by the worker from his pension, this will continue after his death. I think, this formula should be changed. People should be given the benefit of paying off their commutation amount and then enjoy the full amount of their pension.

The other thing is called the return of capital and that is to be restored. Earlier, the amount of pension was based on last 12 months' salary. Now, it is based on 60 months' salary. This reduces the amount of pension. We want the former system of computing pension based on last 12 months' salary to be restored in the interest of the working class.

Sir, you will realize that the pension of pensioners in the Government of India increases with the cost of living index. Also, at the time of every Pay Commission, they are receiving better pension benefits. Nobody should grudge that and they should get it. I would like that this pension amount should also be linked to the cost of living index. I would like to remind that in the year 1995, when Shri Sangma was the Labour Minister, he introduced this pension scheme. He had promised that this pension scheme would be revised after every ten years, but it is 20 years now and there has been no revision of the pension scheme for the workers.

Now, the Labour Ministry of Government of India has the ESI Scheme. At present, if a worker retires and goes on EPF pension, he gets no medical benefit. I demand that the pensioners of Provident Fund under EPF Pension Scheme should also be entitled to ESI benefits.

Now, I come to the main important questions or controversies regarding the pension scheme of today. I find that the Labour Minister is absolutely helpless in the face of more powerful Finance Minister. Why? Rs. 27,000 crore is the unclaimed amount as far as pension is concerned. Why is this unclaimed amount there? According to rules, pension- EPF savings become inoperative when there is no fresh credit into the account for 36 months. Such deposits remaining unclaimed for over seven years, there is a proposal to divert it to Senior Citizens' Welfare Fund. Now, we are totally against that. Whatever amount is received from the workers, that amount should be spent for their medical benefit and on them. Do you agree, Mr. Premachandran?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Absolutely.

PROF. SAUGATA ROY : It is very good that you have set up a Senior Citizens' Welfare Fund. The Government has many sources of revenue, but they are targeting that unclaimed amount lying in the Employees' Provident Fund Organization and they are trying to divert these deposits. Now, according to law, it cannot be done. So, what did the Finance Minister do? He has brought the Finance Act of 2016, which was passed by the Parliament, and inserted an overriding provision that authorizes transfers from EPF account and making provisions in other laws ineffective. One branch of the Government is making the existing law inoperative.

You will be happy to know that all sections of working class have protested against this. The Bharatiya Mazdoor Sangh General Secretary, Shri Virjesh Upadhyay has said: "The Government has no right to encroach on workers' money. We welcome the move to set up a Welfare Fund for Senior Citizens created out of budget and no from Provident Fund savings of employees." Who says this? It is the General Secretary of Bharatiya Mazdoor Sangh.

Not only that, the other Central Trade Unions walked out of the meeting held on July 26 protesting against the agenda item informing the Board of the Government's move. Now, AITUC General Secretary, Shri D.L. Sachdev said: "Even the provisions of the Finance Act or any other rule of law cannot take away the fundamental rights. Workers have the right to claim their deposits at any point of time." This was said by AITUC General

Secretary, Shri D.L. Sachdev. So, what the Finance Minister has done is against the wishes of the organized Trade Unions in this country. Hence, this move is totally anti-labour.

Shri Bandaru Dattatreya, the present Labour Minister, was a child worker in Hyderabad. Then, he was involved in trade union activities in the Allwyn Factory. Though age made him less sharp, he should protest publicly against this move of the Finance Ministry.

Sir, lastly, I want to emphasize that this Scheme has been so good and, over the years, the total corpus of the Employees Provident Fund has reached up to Rs. 9 lakh crore. It is a huge collection. Now, the Government is always looking for ways where they can get money from. They are setting their eyes on this. What we want is that total security has to be ensured. That is why, this money should be put in Government Bonds, Securities and, at most, in the public sector. There is a strong pressure from the corporate lobby and sections of the Government that you should invest a part of this in the share market with all the attended risks. I am totally opposed to putting workers' money in share market and stock exchanges. The benefits that workers have received after so many years of service should not be taken away from them.

It is true that in our country social security is not available for most of the people. This is most unfortunate thing that most of the people have no regular income. There are so many workers in the unorganized sector. There are a large number of construction workers; those who move from place to place. There are small shop workers. In our State, we know there is a special scheme of provident fund for unorganized workers. There is also a special scheme of provident fund for construction workers. But this Employee's Provident Fund Scheme is a Central scheme.

Normally, the Employees Provident Fund Organization is headed by a senior IAS officer and the Government of India started thinking that this money collected with the Employees Provident Fund Organization is their own money. I would urge the hon. Minister Shri Bandaru Dattatreya, who is from Secunderabad, to take into consideration the workers' worries regarding commutation, return of capital, our demand for minimum pension of Rs. 3,000, our demand for reviewing the Employees' Pension Scheme, our demand for increasing the Government of India's share, our demand for ESI medical benefits and our demand for minimum Rs. 3,000 pension under the EPF scheme.

I hope that I have been able to put across the main intention of the mover of the Resolution Shri Premachandran. The hon. Minister Shri Bandaru Dattatreya is supposed to reply to this debate today. I hope that he will respond to some of the people.

Lastly, I would say that these are days when corporates are gaining upper hand. Ever since liberalization started in this country, workers are going with their backs to the wall. मजदूर श्रेणी के जो लोग हैं, वे रोज मार खा रहे हैं। लिबूलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कंपनियां बंद होती जा रही हैं। इसमें मज़दूरों के रोज़गार छीने जाते हैं। उनके लिए यह प्रोवीडेंट फण्ड स्कीम एक ही दीया है। इसे हम किसी भी तरह से बुझने नहीं देंगे। सारे देश के संगठित श्रमिक यह चाहते हैं कि इम्प्लॉइज़ प्रोवीडेंट फण्ड स्कीम को और मज़बूत बनाया जाए और इसमें जो क़मज़ोरी है, इसे दूर किया जाए।

इसी बात के साथ मैं एन. के. प्रेमचन्द्रन साहब को बधाई देता हूं और उनके पूरे प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I am to inform the House that the time of two hours allotted for the discussion on the Resolution is almost over. As there are five more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL MEMBERS: We agree.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. The time for this Resolution is extended by one hour.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, प्रेमचन्द्रन जी के द्वारा यह रिजॉल्यूशन, जो कर्मचारियों के भविÂष्य निधि के महेनज़र है और उनकी चिंता करने के लिए लाया गया है, मैं उनके इस रिजॉल्यूशन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार को मज़दूरों के बारे में जो चिंता करनी चाहिए थी, सरकार ने वह की है। लेकिन, इसके बावजूद भी कुछ कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि शायद उनका ज़मा किया हुआ पैसा सरकार के खाते में, जो करोड़ों में पड़ा हुआ है, सौगत रॉय जी भी पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, तो इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं, इसीलिए यह पड़ा हुआ है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर क्लास के लिए, मजदूरों के लिए जो कदम उठाए हैं, वे लेबर क्लास के हित में उठाए गए हैं। माननीय श्रम मंत्री बंडारू जी के संपर्क में बराबर बने रहने के कारण से, जो उनको इस बात को बताते भी रहे हैं। साठ साल के इतिहास में देश में शासन करने वाले एक विशेष परिवार के लोग और एक पार्टी राज करती रही। ...(व्यवधान) सौगत राय जी, उसमें करेक्शन यह है कि एक जन-धन योजना लागू की गई। वह जन-धन योजना अगर लागू की गई है तो वही मजदूर वर्ग, जिसकी न सरकारी नौकरी है, न उसके घर में आमदनी है, वह कंस्ट्रक्शन में काम करता है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, कहीं भट्टे में काम करता है, सब्जी की दुकान लगाता है, उनकी साठ साल में कोई चिंता ही नहीं की गई थी और ठेकेदारी ली जाती रही कि गरीबों के हितैÂषी कोई हैं, तो केवल वही हैं, कोई और साठ साल में हितैÂषी है ही नहीं। गरीब बेचारा यह सोचता रहा, जब वे शासन कर रहे थे, तब उनको चाहिए था नौं, मिल गया एक, उनको लगा कि अगर नौं की जगह एक भी मिल गया, तो यह भी बहुत है। अगर यह भी न देते तो हम इनका क्या बिगाड़ लेते? वे बेचारे इस मानसिकता से ग्रस्त होकर सोचते रहे। लेकिन उनके बारे में इस जन-धन योजना के माध्यम से सोचा गया है। गरीब आदमी, मजदूर वर्ग, जिसको बैंकों की सीढ़ी पर चढ़ने ही दिया जाता था, बैंक उनके दर पर कैंप लगाकर पहुंचाये गए। उनसे कहा गया कि आप अपने पचास रुपए, सौ रुपए, दो सौ रुपए जो भी जमा हों, वे बैंक में डालिए। ये राष्ट्रीयकृत बैंक आपके लिए खोले गए हैं। वे डालेंगे और लगातार उस खाते को कंटीन्युअसली 6 महीने तक लगातार चालू रखेंगे तो उस मजदूर को किसी साहूकार के दरवाजे पर दस रुपए, बीस रुपए सैकड़े के लिए नहीं भागना पड़ेगा। बैंक उसे पांच हजार रुपए तक का कर्ज देगा, जिसको अंग्रेजी भाÂषा में सौगत राय जी की पार्टी समर्थन करते हुए, जो सरकार में मंत्री रहे थे, राजघरानों की पार्टी इस देश में साठ सालों तक रही है, उन साहूकारों के पास उनको कर्ज लेने के लिए न जाना पड़े और बैंक उनको पांच हजार रुपए वक्त आने पर जरूर देगा। उनके घर में बीमारी हो गई, घर में कोई मैंटीनेंस कराना है, रिश्तेदार आ गए तो उनको वह मिल जाएगा।

इसी प्रकार से सुरक्षा बीमा योजना है। केवल एक रुपए में मजदूर को यह मिलेगा। पैसे वाले लोग तो बीमा कराते हैं, प्रीमियम आता है। जिस गरीब बेचारे के आमदनी नहीं है, वह प्रीमियम के लिए, बीमा कराने के लिए अपने मरणोपरांत अपने परिवार की चिंता करने के लिए कहां सोचेगा? जीते जी उसका पेट भरने का उसके पास पैसा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुरक्षा बीमा योजना लागू की है, यह भी उसी वर्ग के लिए है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग परिवार का है। 1 रुपए प्रति महीने और 12 रुपए साल में, अगर वह अपने जन-धन खाते में भी लिखवा देगा तो उस जन-धन खाते से प्रीमियम आटोमैटिकली 12 रुपए कटता रहेगा। आकस्मिक दÂिष्ट से उसकी मौत हो सकती है। दिल्ली में इतनी बड़ी मेट्रो बन रही है। इस मेट्रो के अंदर कितने प्रकार की सिक्योरिटी है, मेट्रो का काम देश की राजधानी में चल रहा है और अन्य राज्यों में भी चल रहा है। यहां पर 70-80 फीट बेसमेंट खोदकर लाइन डाली गई है, लेकिन आज तक सुनने को नहीं मिला कि किसी मजदूर की मृत्यु हुई हो। आज तक सुनने को नहीं मिला कि कोई मिट्टी में दब गया। पता ही नहीं लगने देते थे, पता ही नहीं लगता था। वहीं कंप्रोमाइज ले-देकर कर, क्योंकि उन गरीब को पता ही नहीं होता था कि कहां जाना है, कहां मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आज अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार के लोग निश्चित रूप से उस एक्सीडेंटल बीमा के हकदार बन जाएंगे और गरीब आदमी को निश्चित रूप से हक मिलेगा।

प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन ने भी इसकी सराहना की है। एसोचैम जैसी औद्योगिक इंडस्ट्रीज चलाने वाली जो एनजीओज और कंपनियां बनी हुई हैं, उन्होंने भी इन योजनाओं की निश्चित रूप से सराहना की है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किए हैं। हमारी एनडीए की सरकार में श्री बंडारू दत्तात्रेय, लेबर मिनिस्टर बैठे हुए हैं और जो चिंता करते रहे हैं। उसके बावजूद भी यह जो वर्ग है, इस वर्ग के परिवार में अगर बीमारी हो जाए या कहीं साइकल पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, तो उसको इंडस्ट्री उतनी ही दिहाड़ी देगी, जितने दिन वह मजदूरी करेगा। उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। उसकी कौन चिंता करेगा? उसकी चिंता नहीं की गई थी।

अभी एक और योजना आ रही है। थ्री मिनिस्टर्स कमेटी माननीय जेटली जी के नेतृत्व में बनी हुई है। इस सबको आधार कार्ड के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति ढाई सौ रुपए का कार्ड बनवाएगा और ईएआई का कार्ड बनवाने के बाद किसी भी प्रकार की बीमारी में उसको सपोर्ट मिलेगी। मजदूर वर्ग के लिए सरकार की यह योजना है। मैं पहले कह रहा था कि अगर उसका ऐक्सीडेंट हो जाए या उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए, अगर मजदूर बीमार हो गया तो समझ लीजिए कि पूरी फैमिली बीमार हो गई। उसकी खैरख्वाह करने वाला कोई नहीं होता। 60 साल में कभी इस बारे में चिन्ता नहीं की गई। मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार आई है, 68 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। हो सकता है कि अभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल रही हो। हमारे विरोधी मैदान छोड़कर भाग गए। वे गरीबों के हितैÂ०ाळ बनते हैं। लेकिन अभी बैंच में कोई नहीं है। एक को भी चिन्ता नहीं थी कि आज प्रॉविडैंट फंड के बारे में, मजदूरों के बारे में चर्चा होनी है। वे विपक्ष में बैठे हुए हैं। उनका धर्म बनता था कि वे सरकार पर कमियों के बारे में दबाव बनाकर मंत्री जी से कहते कि हम गरीबों के हितैÂषी हैं। प्रेमचन्द्रन जी द्वारा रैजोल्यूशन लाया गया है। हमारे सहयोगी पार्टी के मित्र रैजोल्यूशन लाए हैं और उसका समर्थन रूलिंग पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों के हित का मामला है। गरीब के हित में जहां पॉज़िटिविटी लानी चाहिए, उस काम को करने वाली यह सरकार है।

मजदूर वर्ग को पता ही नहीं रहता था। मैं बंडारू जी की कनसल्टेटिव कमेटी का मैम्बर हूं। सरकार जो मिनिमम वेजेस तय करती है, 70 सालों तक वह कागजों में तय होती रही। गरीब आदमी किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है तो राजधानी दिल्ली में अगर मिनिमम वेजेस 9,900 रुपये है, तो इंडस्ट्री के लोग गरीब आदमी से 6-6 हजार रुपये में मजदूरी करवाते हैं।

सुबह बहुत जोर-जोर से माननीय सदस्य कह रहे थे कि हत्या हो गई। गौ मांस पर चिल्ला रहे थे। मैंने कहा कि ये बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, इन्हें सरकार स्लॉटर हाउस के लाइसैंस दे दे तो इनकी रोजी-रोटी चल जाएगी। इन्हें पाकिस्तान में रैजिडैंट का वीजा और दिलवा दें ताकि ये वहां बसने शुरू हो जाएं। ये केवल नौटंकी करके शोर मचाते रहे, लेकिन गरीबों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के हित के लिए इन्होंने 60 सालों में क्या किया। उनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी।

माननीय सौगत राय जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं। अगर अभी वे हाउस में बैठे होते तो मुझे अच्छा लगता। वे बंगाल में मजदूरों के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। उन्हें ठीक से गाइड नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो रैजोल्यूशन प्रेमचन्द्रन जी लाए हैं, प्रॉविडांट फंड बैनैंफ शायद 27 हजार करोड़ रुपये था, अगर गरीबों का वह पैसा इकट्ठा हो गया, उसके लिए अब चिन्ता की गई है। जो यूनिवर्सल एकाउंट कार्ड बनाया गया है, उसके माध्यम से अब गरीब मजदूर किसी उद्योग में काम कर सकेगा। वह दिल्ली में काम कर रहा है और उसे कोलकाता, चेन्नई में काम मिल गया। उसे आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। वह कार्ड लेने के बाद अगर उसने पहली कम्पनी में छ: या आठ महीने काम किया, उसका प्रॉविडैंट फंड वहां कट गया। वह बेचारा मजदूर उसे लेने नहीं जाता। उसका वह पैसा डूब जाता था। सरकार के खाते में आज तक वह करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है जिसकी चिन्ता ढाई सौ रुपये प्रिमियम पर कार्ड बनवाकर प्रधान मंत्री जी ने की। अब जो व्यक्ति अनआर्गनाइज्ड संगठन में काम करते हैं, उनको ईएसआई के माध्यम से केवल ढाई सौ रुपये के कार्ड से मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, यह इस सरकार ने तय किया है। इस सरकार ने मजदूरों के हितों के लिए काम किया है।

उनके लिए प्रधान मंत्री अटल पैंशन योजना चलाई गई है। सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसे पैंशन मिलती है। लेकिन देश में जो 7-8 करोड़ मजदूर वर्ग हैं, अनआर्गनाइज्ड एरिया में काम करते हैं, वह 60 साल के बाद क्या करेगा। बेटा नालायक निकल गया, बहु सेवा नहीं करना चाहती। वह गरीब क्या करेगा। वह मात्र 220 रुपये की स्कीम ले सकता है। जिस दिन वह 60 वर्ष का हो जाएगा, प्रेमचन्द्रन जी, सरकार उसे बैंकों के माध्यम से पांच हजार रुपये की पैंशन देगी। जिसके नाम से पैंशन है, अगर दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाए और उस पर उसकी धर्म पत्नी आश्रित है या परिवार का कोई और सदस्य आश्रित है तो उसे भी पैंशन मिलती रहेगी। इस बारे में 68 साल में किसी ने चिन्ता नहीं की थी। ये नौटंकी करते हैं कि धनाढयों की सरकार है, सेठों की सरकार है।

सुकन्या योजना है। पैसे वाले व्यक्ति को चिन्ता नहीं होती कि उसकी बेटी जवान हो गई है, शादी कैसे करूंगा। यह चिन्ता कच्चे मकान, झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को होती है। गांव में मजदूर वर्ग का गरीब आदमी, अनूसूचित जाति से बिलॉग करता होगा, ओबीसी से बिलॉग करता होगा। अगर उसके घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो वह उसे दुश्मन नजर आती थी।

16.00 hours

वह मजदूर अपनी लड़की को ऐसे देखता था कि जैसे बोझ हो गई हो, उसे एजुकेशन के लिए नहीं भेजता था। प्रधानमंत्री ने सुकन्या योजना शुरू किया, अगर मजदूरी की बेटी नौ साल की हो जाए और मात्र एक हजार रुपये प्रति महीने तक जब तक लड़की 18 वर्ष की हो जाए, उसके खाते में पैसा जमा कराना है। पैसे वाले की बीबीयों को या पैसे वालों को बेटी की चिंता नहीं सताती थी। यह चिंता गरीब की धर्मपत्नी को सताती है कि हमारी बेटी दस वर्ष की हो गई इसकी शादी कैसे करूंगी, उसके मामा और रिश्तेदार मिलने के लिए आए, उसे पांच सौ या दो सौ रुपये दिए, उस रुपये को लेने के बाद वह पैजेब खरीद लेती है, नाक का बुंदा खरीद लेती थी कि उसकी शादी में काम आएगा। बेटी के जवान होने पर उसकी मां चिंता करती है। वही मजदूर वर्ग अब चिंता करने की बजाए सुकन्या योजना में पैसा बैंक में जमा कराए तो शादी के समय बैंक से साढ़े छह लाख रुपये शादी करने के लिए मिलेगा। गरीब आदमी की चिंता मोदी सरकार आने के बाद खत्म हो गई। ये सारी समस्याएं मजदूरों की थीं, जो रोतिहर मजदूर था और खेतों में काम करता था, छोटा किसान जिसके पास एक-डेढ़ एकड़ जमीन थी। वह मुश्किल से भरण पोÂ०ाण कर पाता था। चार बेटों को रोजगार कैसे मिलेगा तो वे बूढ़े मां-बाप को गांव में छोड़ कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते थे कि रोजी रोटी कमाएंगे तो ही पेट भरेगा। मैंने यूनिवर्सल एकाउंट के बारे में जानकारी दी है, अगर वह यहां से काम छोड़ कर किसी दूसरी कंपनी में भी काम करेगा तो आधार से जुड़ने के बाद उसका पिछला पैसे का वह मजदूर लाभार्थी होगा। पहले चिंता क्यों नहीं हुई थी। ये कहते हैं कि कम्प्यूटर को हमारे नेता राजीव गांधी जी लेकर आए थे। राजीव गांधी जी लेकर आए थे मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं तो वह बड़े लोगों के लिए लेकर आए थे कि एक विशेÂ०ा समुदाय ही उसका लाभ उठा सके। इस देश में 70 प्रतिशत किसान हैं, मजदूर है अगर गरीब मजदूर स्वालंबी बन गया, समझदार हो गया तो वह इनके हाथ से गद्दी छिन लेगा इसलिए गरीब को गरीब ही रहना चाहिए और वे अपना शासन करते रहेंगे। इस प्रकार की मानसिकता से सरकार काम करते रही हैं। मैं प्रेमचंदन जी के रिज्यूलोशन का समर्थन करते हुए कि वह माननीय मंत्री जी से बात करेंगे, नौकरी छूटने के बाद प्रोविडेंट फंड के माध्मय से सरकार विचार कर रही है। प्रेमंचन्दन जी अगर मंत्री जी से मिल कर बात करेंगे। प्रेमचन्द्रन जी के सारे पड़ोसी मैदान छोड़ कर भाग गए, वे गरीबों के हितैÂ०ाळ बनते थे। लेकिन प्रेमचंदन जी बैठे हुए हैं और गरीबों के हितों के लिए सोच रहे हैं। सरकार के अंदर कुछ कमियां हैं और कोई चीज छूट गई है तो उसे लाया जाना चाहिए। उसके लिए भी वह धन्यवाद के पात्र है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि एक महत्वपूर्ण संकल्प के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश के उन तमाम इम्पलाई जो अपना पूरा जीवन देश के निर्माण में अपना योगदान समाज को देता है और रिटायर होने के बाद जो वेल्फेयर की स्कीम है या पेंशनर्स की स्कीम है या प्रोविडेन्ट फन्डस की स्कीम है उसके संबंध में एक संकल्प लेकर आए हैं। रमेश बिधुड़ी ने जो बात कही है, मैं उनकी भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूं। मैं एक बात प्रेमचन्द्रन जी से कहना चाहूंगा कि आप रोज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं और आज जब आपका संकल्प और प्रस्ताव आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं तो क्या भविÂष्य में यह आई ओपनर का काम होना चाहिए। अगर वह देश के मजदूरों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो आपको भी उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। आज नॉन-ऑफिसियल डे है गवर्नमेंट का कोई बिल नहीं आना है, गवर्नमेंट का कोई विधेयक पारित नहीं होना है। आज हम लोगों के लिए वक्त है कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में चले जाएं।

माननीय अधिÂष्ठाता महोदय, इसके बावजूद यदि सत्ता पक्ष के सांसद इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और प्रेमचन्द्रन जी, जैसा बिधूड़ी जी ने कहा कि आप एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसका आशय, जिसकी भावना, कहीं न कहीं देश के उन करोड़ों एम्पलॉइज के वैलफेयर के लिए है। इसलिए आज निश्चितौर से हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं।

महोदय, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जो संकल्प माननीय प्रेमचन्द्रन जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें जिन आठ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार को विचार करने के लिए कहा है, मैं समझता हूं कि सरकार को उन आठों बिन्दुओं पर एक-एक कर के विचार करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने इन बिंदुओं पर कुछ विचार किया भी है। मुझे लगता है कि जैसे आज एक मांग उठ रही है कि, increase the minimum pension to Rs. 3000 per month under Employees' Pension Scheme, 1995. मैं समझता हूं कि आज जो इन्होंने मांग की है कि न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, वह रु.3000/- होनी चाहिए। इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि जो वर्तमान समय में रु.1000/- न्यूनतम पेंशन की गई है, वह इससे पहले, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नहीं आई थी, तो इन एम्पलाइज की पेंशन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस समय किसी को 50/- रुपए मिलती थी, किसी को 75/- रुपए मिलते थे और किसी को 100/- रुपए मिलते थे।

महोदय, आपको याद होगा, उस समय श्रम मंत्री के रूप में, माननीय नरेन्द्र सिंह जी तोमर थे और उन्होंने सरकार बनते ही दिनांक 26 मई, 2014 को सरकार बनी थी, उसके चार-पांच महीने के अंदर ही मोदी जी ने सबसे पहला फैसला हिन्दुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के उन एम्पलाइज के लिए किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कम से कम 1000/- रुपए पेंशन देगी। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इसी सदन में किया। हमने उस एक्ट में जो एम्पलाइज प्रॉवीडेंट फंड की स्कीम थी, उसका सितम्बर, 2014 में एक नोटीफिकेशन निकाला और उस दिन इसी सदन में खड़े होकर आदरणीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने इस बात की घोÂषणा की थी और कहा कि इस देश में बहुत सी कल्याणकारी सरकारें आई, लेकिन हमारी सरकार आने से पहले तक किसी ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, किन्तु हमने आज उन्हें कम से कम रु.1000/- पेंशन देने का निश्चय किया है। इनके रिटायर होने के बाद, इनके पास मकान नहीं होता, उन्हें यदि बीमारी हो जाए, तो ईएसआई में सामान्य इलाज तो हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं होता, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता है। उन्हें किस प्रकार से सहायता की जाए इस बारे में सोचते हुए इस सरकार ने आज स्वाभाविक है कि इस सरकार ने उनकी सहायता के लिए अच्छे काम किए हैं। मैं समझता हूं कि प्रेमचन्द्रन जी, इस बात को स्वीकार करेंगे और वे अपेक्षा भी इसी सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने उन एम्पलाइज के रिटायर होने के बाद जो न्यूनतम पेंशन की है, वह 1000/- रुपए की है। यह निश्चितताौर से एक स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, हम इस संकल्प के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि देश के उन एम्पलाइज की पेंशन में इस संकल्प के सापेक्ष वृद्धि करेंगे, तो निश्चितताौर पर वह अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम होगा।

महोदय, जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री रमेश बिधूड़ी जी ने कहा और उन्होंने भी कहा कि आज 27 हजार करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड फंड है। इसके संबंध में उन्होंने लिखा है कि, implement welfare schemes for pensioners benefits including housing scheme by utilising unclaimed Provident Fund amounting to Rs. 27000 crore.

यह धन जो 27 हजार करोड़ रुपए का है, जिसके संबंध में कह रहे थे कि किसी एम्पलाई ने अगर आज कहीं काम किया और दो-चार महीने काम करने के बाद वह दूसरे प्रतिÂठान में काम करने चला गया, परन्तु जिस दिन से उसने काम शुरु किया उसी दिन से उसका प्रॉविडेंट फंड कटना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले इसमें इतनी कॉम्पलीकेशन्स होती थीं कि दो महीने या चार महीने का प्रॉवीडेंट फंड लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि तमाम एम्पलाई अनपढ़ हैं, अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं, वे उसे फौलो नहीं कर पाते थे और अपने प्रॉवीडेंड फंड को लेने का प्रयास नहीं करते हैं। इस तरह से जो जमा धनराशि है, वह बढ़कर 27 हजार करोड़ रुपए हो गई है। आज स्वाभाविक है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए एम्पलाई ऑनलाइन भी अपने प्रॉवीडेंट फंड को निकाल सकते हैं। आज की तारीख में कोरपस 27,000 करोड़ का है, चाहे एम्पलाइज प्राविडेंट फंड का हो, इसमें अनक्लेम्ड 27,000 करोड़ है। तमाम पोस्ट आफिसेज़ में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एन.एस.सी. बनवाते हैं। तमाम ऐसे लोग ,हैं जो और तरीके से पैसा बचत के रूप में जमा करते हैं, चाहे किसान विकास पत्र हो या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो। हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया, निशिकान्त जी बैठे हैं, आपको याद होगा, पूरा सदन गवाह है, 2015-16 के बजट में श्री अरुण जेटली ने वित मंत्री के रूप में कहा था। चाहे पोस्ट आफिस में अनक्लेम्ड मनी हो, चाहे प्राविडेंट फंड में हो, देश में लगभग 45,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड मनी के रूप में सरकार के पास पड़ा हुआ था, चाहे यू.पी.ए. की सरकार रही हो, यह पैसा सरकार के खजाने में पड़ा हुआ था। हमारी सरकार ने फैसला किया, वित मंत्री जी ने अपने बजट भाÂाण में कहा कि इस तरह का अनक्लेम्ड पैसा, चाहे वह प्राविडेंट फंड का हो, बैंक का हो, चाहे पोस्ट आफिस का अनक्लेम्ड मनी हो, इसे देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए खर्च करेंगे। यह बहुत ऐतिहासिक फैसला है।

मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में कहना चाहता हूं कि घरों में बुजुर्ग रहते हैं, गांवों में इनकी क्या स्थिति होती है, घर में बच्चों के होने के बावजूद इन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है। उनके पास ओल्ड एज की कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है और ये एक तरह से निराश्रित हो जाते हैं। इनके पास न तो दवा के लिए, न खाने के लिए और न रहने के लिए पैसा होता है। कभी काशी की बात होती है, जहां तमाम विडो महिलाएं रहती हैं। मथुरा की बात होती है, वृंदावन की बात होती है, देश के तमाम मंदिरों की बात होती है, जहां सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। देश में इनके लिए न कोई सामाजिक सुरक्षा थी, ओल्ड एज होम की सही व्यवस्था नहीं थी। सीनियर सिटीजन्स महिलाएं अगर घर से बाहर हो गई तो किस तरह मजबूर, लाचार और बेबस की तरह जिंदगी गुजारती थीं और शायद गुजारती हैं, यह कल्पना से परे है।

देश में सीनियर सिटीजन्स की गांवों में, शहरों में या तमाम इलाकों में जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए इस अनक्लेम्ड मनी को खर्च किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय वित मंत्री जी ने यह सराहनीय कदम उठाया है। पोस्ट आफिस में किसानों का पैसा है, बचत पत्र का है या एन.एस.सी. का है, प्राविडेंट फंड का है। क्या इस पर श्रम मंत्री विचार कर सकते हैं कि इसमें प्राविडेंट के पैसे को अलग किया जा सकता है? उस प्राविडेंट फंड के पैसे से एम्पलाइज की मदद की जा सकती है। सरकार प्राविडेंट फंड में अनक्लेम्ड मनी एम्पलाइज के वैलफेयर के लिए, एम्पलाइज की हाउसिंग स्कीम के लिए, उन्हीं के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास करके उत्तरदायी कदम उठाएगी, इस तरह का अनुरोध संकल्प के माध्यम से आया है। सरकार इस पर निश्चित तौर से विचार करेगी तो आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान के तमाम एम्पलाइज़, जिनकी परिस्थितियों और कठिनाइयों के बारे में मुझ से पहले वक्ताओं ने जिक्र किया है कि किस तरह से उनके जीवन के सामने चुनौतियां हैं, असुरक्षा की भावना है, हम उनकी मदद करने में कामयाब हो सकते हैं।

Shri Premachandran has told to restore the benefits of commutation and return of capital to the employees provident fund pensioners and to ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees Pension Scheme, 1995 after realizing the full amount of commuted pension from pensioners. He also told to revise the whole Employees Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience and extend Employees Pension Scheme, 1995 to various other Legislatures.

यह जो कम्यूटेशन की बात कही है, तो जिस दिन से पैंशन शुरू होती है, उस दिन से एक तिहाई पैंशन को कम्यूट करने का अधिकार हमारे इम्प्लायज को है। लेकिन ये एम्प्लायज अपनी पैंशन में से एक तिहाई को कम्यूट करते हैं, तो उन्हें उस तिहाई का अमाउंट लम-सम मिलता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो, वह चाहे राज्य सरकार का हो या केन्द्र सरकार का कर्मचारी है, वह रिटायरमैंट के बाद अपनी पैंशन की एक धनराशि में से कम्यूट करा के एक तिहाई पैसा लेना चाहता है तो उसे भी यह अधिकार है और हमारे एम्प्लायज को भी अधिकार है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि अगर वह सरकारी कर्मचारी है और उसकी पैंशन तीन हजार रुपये है, तो वह एक हजार रुपया यानी एक तिहाई पैंशन कम्यूट कर सकता है। मान लें कि अगर वह एक तिहाई अपनी पैंशन को समायोजित करता है तो उसका सौ गुना दिया जाता है, यानी एक लाख रुपया उसे मिल जायेगा। अब एक लाख रुपया इस तरीके से हमारे एम्प्लायज को भी मिल जायेगा। लेकिन 15 वर्षों के बाद इम्प्लायज का पैसा नहीं जुड़ेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमैंट की तरफ से सुविधा है कि 15 वर्षों के बाद हजार रुपये की धनराशि उनकी पैंशन में जुड़ जायेगी। उन्हें फिर तीन हजार रुपये पैंशन मिलने लग जायेगी। सरकारी कर्मचारी जो रिटायरमैंट के बाद अपनी पैंशन को कम्यूट करते हैं, उन्हें 15 वर्षों बाद पूरी पैंशन मिलने लगती है, तो फिर इन एम्प्लायज को भी 15 वÂर्षों के बाद पूरी पैंशन क्यों नहीं देते? हम इस संकल्प के माध्यम से कोई नयी मांग नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे एम्प्लायज रिटायर होने के बाद अपनी पैंशन में एक तिहाई कम्यूटेशन कराते हैं, तो 15 सालों के बाद भी उसका एक हजार रुपया कटता रहेगा और उसे दो हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी को उससे ज्यादा मिल जायेगा।

सभापति महोदय, इन्होंने इसमें कहा है कि -- provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund Scheme on the basis of the average salary of 12 months, immediately preceding retirement. यह कोई नयी बात नहीं है।

माननीय मंत्री जी, आप इस पर विचार कर लें। प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि अगर कोई एम्प्लाई रिटायर होता है, तो उसकी आखिरी साल के 12 महीने की सैलरी के एवरेज के आधार पर आप उसकी पैंशन की गणना कीजिए। मैं समझता हूं कि यह उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर है। अभी वर्तमान में आपकी एम्प्लाइज प्रॉविडेंट फंड स्कीम, 1995 है, उसकी पैंशन की गणना सब्सक्राइबर की पूरी सर्विस में दिये गये कंट्रीब्यूशन के आधार पर होती है। उसने अपनी सर्विस में पी.एफ. के रूप में जो कंट्रीब्यूट किया है, उसके आधार पर की जाती है। स्वाभाविक है कि जब आदमी नौकरी शुरू करता

है, तो उसका वेतन बहुत कम होता है। जब वह अपनी सर्विस 30-35 साल पूरी कर लेता है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाता है। उसकी आखिरी एक साल की सैलरी द्वारा दिये गये कंट्रीब्यूशन के आधार पर क्यों न उसकी पेंशन का आंकलन किया जाये। मैं समझता हूं कि जब हम 'सबका साथ, सबके विकास' की बात कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों के केस में यह गणना केवल उनके आखिरी साल के 12 महीने की होती है। मैं इस नाते इसका समर्थन कर रहा हूं कि अगर हम गवर्नमेंट इम्प्लायज के रिटायरमैंट के आखिरी साल की हाईस्ट सैलरी है, उसमें जो वह पी.एफ. के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर उस 12 महीने के आधार पर तय की जाती है, तो एम्प्लायज प्रॉविडेंट फंड स्कीम के इस प्रावधान में सब्सक्राइबर को भी लाया जाये, तो निश्चित तौर से इस सरकार या इस देश के उन तमाम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, वे पूरी होंगी। उनको कहीं न कहीं लगता है कि उनके साथ डिसक्रिमिनेशन है। अगर आज हम गवर्नमेंट एम्प्लाई नहीं बन सके, हमने एक एम्प्लाई के रूप में किसी अन्य प्रतिÂष्ठान में अपना पूरा जीवन लगाया, अपनी पूरी मेहनत से उस प्रतिÂष्ठान में हम अपने देश के लिए, देश की जीडीपी के लिए जो कर सकते थे, किया है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर एवं अन्य सभी सेक्टर्स के लोगों का जीडीपी में योगदान होता है। उस योगदान के आधार पर हमारे इन एम्प्लाइज के लिए भी उनकी सर्विस के अंतिम वर्षों की सैलरी और कंट्रीब्यूशन के आधार पर करेंगे तो निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा। इन्होंने अपने प्वाइंट 6 में लिखा है: Revive the Employees Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience. मैं समझता हूं कि इसका यह तात्पर्य होगा कि हमारे अतीत के जो अनुभव हैं और एम्प्लाइज के सामने जो चुनौतियां हैं, पेंशन पाने के बाद उनके समक्ष जो कठिनाइयां हैं और जो समाज में विसंगतियां हैं, उनको देखते हुए, उस डिसक्रिमिनेशन को देखते हुए, उन एम्प्लाइज के वेलफेयर के लिए एक कांप्रिहेंसिव एम्प्लाइज वेलफेयर स्कीम बनाएं। स्वाभाविक रूप से आज यह काम करने की आवश्यकता है।

आज उनकी पेंशन के लिए अलग स्कीम है, उनको मेडिकल फेसिलिटीज ईएसआई द्वारा दी जाती हैं, कम्पेंसेशन के लिए उनको लेबर कोर्ट जाना पड़ता है। इस तरह से एक एम्प्लाई के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। He has to move from pillar to post to avail medical facilities, pension, etc. आखिर में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिए चाहे मेडिकल फेसिलिटी हो, चाहे इनकी पेंशन की स्कीम हो या जो इनके ड्यूज हैं, इन सबके बारे में जो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हम एक कांप्रिहेंसिव स्कीम के तहत लाएं तो शायद वेलफेयर की सारी सुविधाएं एम्प्लाइज को दी जाती हैं, उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होंगी। अधिÂष्ठाता महोदय, आप इससे सहमत होंगे कि उनकी पेंशन हो या वेलफेयर स्कीम्स हों या मेडिकल स्कीम हो या अन्य स्कीम्स हों, यह उनके लिए काफी सुविधाजनक होगा।

इसी तरीके से प्वाइंट 7 में कहा गया है कि extend the Employees Pension Scheme, 1995 to various sectors. स्वाभाविक है कि इन्होंने इसका विस्तार करने की बात कही है, उन्होंने अपने भाÂषण में उल्लेख किया होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि एम्प्लाइज पेंशन स्कीम, 1995 को अन्य सेक्टर्स में भी लागू किया जाए। स्वाभाविक है कि इस सदन में जहां हम आर्गेनाइज्ड सेक्टर की चिन्ता करते हैं, वहीं तमाम माननीय सदस्य अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर की भी चिन्ता करते हैं। आज देश में जिस तरह से आउटसोर्सिंग हो रही है, जिस तरीके से कांट्रैक्ट पर लेबर ली जा रही है, चाहे खेत के मजदूर हों, चाहे सिक्योरिटी के मजदूर हों, आज देश में इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गयी है। इस तरह से देश के तमाम सेक्टर्स, जो अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, उनमें एम्प्लाइज को उनके वेलफेयर के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे आर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है कि अपने देश में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो आर्गेनाइज्ड से ज्यादा अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अगर इसी देश के नौजवान, इसी देश के एम्प्लाइज किन्हीं परिस्थितियों में आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग अगर अभी तक उन स्कीम्स के बेनीफिट से वंचित हैं, जिनको अभी तक इस स्कीम का बेनीफिट नहीं मिल रहा है।

अभी हमारी सरकार ने जो एक नयी पेंशन स्कीम शुरु की है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग सैल्फ एम्प्लॉयड है और उस रूप में काम भी करता है, उसके पास अभी तक कोई सोशल सिक्योरिटी नामक कवच नहीं है। आज देश के सभी वर्गों को, चाहे हमारी महिलाएं हों या बेटियां हों, मोदी जी का फोकस ही इस तरफ है। मैं विÂाय से हटकर कहीं जाना नहीं चाहता हूं। जन-धन योजना में सबसे बड़ी सुरक्षा का ही प्रावधान है कि इसमें किसी भी वक्त ज़ीरो बैलेंस पर खाता खुल सकता है और कभी कभार उसमें 50-100 रुपये बीच बीच में यदि वह व्यक्ति डालता रहे तो कुछ राशि जमा हो जाएगी। इससे कभी भी किसी भी परिस्थिति का वह सामना कर सकता है।

गांव में जैसे हम देखते हैं कि जब कभी किसी को जरूरत पड़ जाती है, जैसे महिलाएं हैं, उनका आदमी बीमार हो गया या घर में बच्चा बीमार हो गया, उनको यदि हजार-दो हजार या तीन-चार हजार रुपये की जरूरत पड़ती है तो उनको अपनी पायलें, चेन, मंगलसूत्र या चांदी-सोने को सुनार के यहां गिरवी रखकर पैसा लेना पड़ता है, यह एक वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को समझकर लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी मिले और देश के हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसको भी सुरक्षा का अधिकार हो। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद तक सीमित रहे, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर उसको कुछ अधिकार मिले, यह काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। इस योजना का करोड़ों लोगों को फायदा मिला है। हमारी सरकार ने आज देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुरक्षा दी है। कई लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे पास बैंक की पास बुक होगी, बैंक में खाता होगा। उस खाते के आधार पर हम कभी भी कठिन परिस्थिति में मजबूर होंगे तो हमें ज़ीरो बैलेंस पर कुछ पैसा मिल सकता है, यह भी एक स्कीम है।

आज मुद्रा योजना की भी स्कीम है कि लोगों को बिना गारंटी के 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार बड़ी से बड़ी स्कीम शुरु कर सकती है और हर नागरिक को उस अधिकार से युक्त कर सकती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर वह केवल एक नागरिक है तो वह लाचार नागरिक के रूप में नहीं है, बल्कि वह सशक्त, सक्षम नागरिक के रूप में भारत के भविÂष्य में अपना योगदान कर सकता है। इसके लिए हमने न्यू पेंशन योजना बनाई है। इसे देश का कोई भी व्यक्ति ले सकता है।

इसी सदन में इस स्कीम का उल्लेख वित्त मंत्री जी ने किया था। इस न्यू पेंशन स्कीम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में भागीदार हो सकता है, वह चाहे तो वह एक साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है, 70,000 रुपये तक मैचिसमम कांट्रीब्यूशन कर सकता है। जो प्राइवेट आदमी है, वह 70 हजार रुपये अधिक से अधिक कर सकता है और वह चाहे तो मंथली भी दे सकता है, जिसमें इंकम टैक्स से छूट भी मिलती है। आम आदमी को हमने इस न्यू पेंशन स्कीम से जोड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि इसको काप्रीहेंसिव बनाएंगे, संगठित से असंगठित में करेंगे, तो असंगठित क्षेत्र में हमारे गरीब मजदूर भाइयों को भी एक सुरक्षा मिलेगी और भारत सरकार का भी एक कांट्रीब्यूशन हो सकता है कि वे जितना कांट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही सरकार भी करेगी।

माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। मैं उनका ध्यान वर्ष 1971 की फैमिली पेंशन स्कीम की ओर आकृÂट करना चाहूंगा कि वह वर्ष 1971 में इसी हाउस में ऐक्ट बना था। उस कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1.16 प्रतिशत है। फैमिली पेंशन स्कीम में जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके सापेक्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 1.16 प्रतिशत कंट्रीब्यूट करेगी। वह वर्ष 1971 था, लेकिन आज हम वर्ष 2016 में हैं। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.16 प्रतिशत ही फैमिली पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रही है। जहां एम्पलॉइज की वेतन ढ़ाई गुणा बढ़ गया, आज इम्पलॉइज के प्रोविडेंट फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.33 प्रतिशत हो गया है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें कि अगर आप पेंशन बढ़ा सकते हैं तो वर्ष 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने पर विचार कर लें, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारे मजदूरों और एम्प्लॉइज को इसका लाभ मिलेगा।

ई.पी.एफ या प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, आज एम्प्लॉइज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए अपनी छत नहीं होती है। मैं आभारी हूं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हिन्दुस्तान के हर परिवार को, जिनके पास आज भी घर नहीं है, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि आने वाले दिनों में वर्ष 2022 तक, देश के हर व्यक्ति, हर परिवार को मकान देंगे, यह बहुत बड़ा कदम है। इस सरकार ने यह संकल्प कर लिया है, यह सरकार का निर्णय है, आदरणीय मोदी जी और हमारी केन्द्र सरकार का निर्णय है कि हमारा हिन्दुस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क होगा, जहां अगर किसी भी व्यक्ति के पास उसका अपना मकान नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं है या उसके पास रहने के लिए छत नहीं है और आज भी वह कहीं रैन बसेरे में रहते हैं, सड़कों पर आज बहुत परिवार रहते हैं, आप बड़े शहरों में चले जाइए, वे अपने पूरे परिवार के साथ, कहीं एक पन्नी तान कर सड़कों के किनारे झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो या पटना हो, आज सभी लोगों को आवास की उपलब्धता नहीं है, उसके कारण उस परिवार को लगता है कि हमारे पास अपना एक घर नहीं है, अपना एक बसेरा नहीं है, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम हर परिवार को घर देंगे। मंत्री जी, जब भी आप इस पर अपना उत्तर दें तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अनक्लेम्ड 27,000 करोड़ रुपये का प्रॉविडेंट फंड है, हम एक तरह से सरकार को सहयोग करेंगे। अपने उन एम्प्लॉइज को, जिनके पास अभी भी छत नहीं है, उनके पास रहने के लिए बसेरा नहीं है तो इस अनक्लेम्ड फंड से हाउसिंग स्कीम में खर्च करेंगे, यही तो इस संकल्प में मांग है। आने वाले दिनों में सरकार अपने संसाधन से या बजटरी प्रोवीजन करके देश के उन तमाम गृहविहीन परिवारों को, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए कई स्कीम्स चला रहे हैं। हम इस स्कीम के तहत भी अगर इस संकल्प को स्वीकार करते हैं तो इस संकल्प को स्वीकार करने के बाद, इस स्कीम में हमारे पास जो 27,000 करोड़ रुपये बचे हुए हैं, हम बड़ी धनराशि चाहें तो उनकी हाउसिंग स्कीम पर खर्च कर सकते हैं।

आज यह विÂषय कोई राजनैतिक सवाल नहीं है। आज जो विÂषय सदन के सामने आया है, इस देश में लाखों एम्प्लॉइज हैं, जिनके वेलफेयर के लिए, सुरक्षा के लिए, भविÂष्य के लिए, मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनके अस्तित्व के लिए, जहां तक उनके अस्तित्व का प्रश्न है तो उनके अस्तित्व के लिए सरकार निश्चित तौर से कारगर कदम उठा रही है। उन कारगर कदमों के बारे में हम सोचेंगे

तो उन इम्प्लॉइज के लिए हाउसिंग स्कीम भी लागू होगी और वेलफेयर का भी काम होगा। इससे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर फायदा होगा। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी कहा था कि सैंट्रल गवर्नमेंट के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कोरपोरेट्स के कितने सब्सक्राइबर्स हैं और ऑल सिटीजन्स के कितने सब्सक्राइबर्स हैं और टोटल 99 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इनके संबंध में एक डिफाइन्ड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें नए लोगों को शामिल करने की बात है, उस संबंध में भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप विचार करेंगे, तो निश्चित तौर से पेंशन फंड को रेग्यूलेट कर सकते हैं, वह कर्मचारियों की डेवलपमेंट के लिए होगा। पिछले दिनों सरकार ने फैसला किया था कि हम आने वाले दिनों में ई.पी.एफ.ओ. को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कंट्रोल करते हैं, उससे कर्मचारियों को रिफंड मिलने की जो अपेक्षा है, उस रिटर्न के लिए हम चाहते हैं कि 5 से 15 प्रतिशत तक अपूल्ड है, कहीं न कहीं उसका इनवेस्टमेंट करके दिया जाए। यह संकल्प ऐसा है कि देश के कर्मचारियों के भविÂय से जुड़ा हुआ सवाल है।

महोदय, इस संकल्प की भावना यही है कि उनकी सुरक्षा हो, उनके लिए हाउसिंग की व्यवस्था हो। पेंशन से वे अपने परिवार की जीविका चला सकें। अपने बच्चों की फीस दे सकें और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। 1 सितम्बर, 2014 को हमारी सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। प्रेमचन्द्रन जी, आप इस बात को महसूस करेंगे। सभी अमेंडमेंट्स सारे एम्प्लाइज के इंटेरेस्ट को देखते हुए किए हैं। The Ministry of Labour and Employment, Government of India has, with effect from 1st September 2014, brought into force several important amendments to the schemes framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. हमने यह अमेंडमेंट ई.पी.एफ. एक्ट, 1952 में किया है। हमने दूसरा अमेंडमेंट किया। The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 ("PF Scheme"). फिर तीसरा अमेंडमेंट किया, The Employees' Pension Scheme, 1995 ("Pension Scheme"). फिर चौथा अमेंडमेंट किया, The Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 ("Insurance Scheme"). हमारी सरकार ने ये अमेंडमेंट्स किए हैं। आप सोचिए वर्ष 1952 का ई.पी.एफ. एक्ट था। वर्ष 1952 के एक्ट में हमने एक सितम्बर, 2014 को अमेंडमेंट किया। इसी तरह से एम्प्लाइज पेंशन स्कीम थी, वह वर्ष 1955 की थी। उसमें हमने अमेंडमेंट किया। इंश्योरेंस के विÂाय में अमेंडमेंट किया। The definition of 'excluded employee' has been amended whereby the members drawing wages exceeding Rs. 15,000 per month are excluded from the provisions of the PF Scheme. Accordingly, the wage ceiling for an employee to be eligible for the PF Scheme has been increased from Rs. 6,500 per month to Rs. 15,000 per month. यह अमेंडमेंट हमने पी.एफ. स्कीम में किया और स्वाभाविक है कि इस अमेंडमेंट से आज देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिल रहा है। इसी तरह से हमने पेंशन स्कीम में भी अमेंडमेंट किया है। हमारी सरकार ने 1 सितम्बर, 2014 को जिस दिन हमने एक्ट को अमेंड किया, उस दिन से हमने कहा। New members (joining on or after 1 September 2014) drawing wages exceeding INR 15,000 per month shall not be eligible to voluntarily contribute to the Pension Scheme.

Similary, the maximum pensionable salary for the purpose of determining the monthly pension has been revised from Rs. 6,500 to Rs. 15,000 per month.

The third amendment is, the pensionable salary shall be calculated on the average monthly pay for the contribution period of the last 60 months (earlier 12 months) preceding the date of exit from the membership.

The fourth amendment is, the monthly pension for any existing or future member shall not be less than Rs. 1,000 for the financial year 2014-15, जैसा कि मैंने जिक्र किया। इस पेंशन स्कीम में भी हमने चार अमेंडमेंड किये, जिसमें यह किया गया कि मिनिमम एक हजार रुपये किसी भी लेबर को पेंशन मिलेगी। जहाँ यह होता था कि पेंशन कोई लेने नहीं आता था, इसी तरीके से 12 महीने में जो उसका डेट ऑफ एग्जिट होगा, ज्यादा से ज्यादा 60 मंथ्स का होगा।

इसी तरह से हमने इंश्योरेंस स्कीम में भी अमेंडमेंड किया। The contribution payable under the Insurance Scheme shall now be calculated on a monthly pay of Rs. 15,000, instead of Rs. 6,500.

अधिष्ठाता महोदय, यह महत्वपूर्ण है। आप तो उसी इलाके से आते हैं, जहाँ पर आप एम्प्लाइज के लिए लड़ते हैं, उनके हक-हकूक के लिए लड़ते हैं। यदि आज इस सदन में मेरी यह आवाज़ उठ रही है, आज सत्तारूढ़ दल के लोग देश के उन लाखों इम्प्लॉइज़, जो पेंशनर्स हैं, उनके हक़-हकूक की हिफाज़त की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस देश में इसका संदेश जाएगा। आज भी देश के उन पेंशनर्स और इम्प्लॉइज़ की अगर चिन्ता है, तो श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को है। हमारी सरकार को चिन्ता है। श्री प्रेमचन्द्रन जी को छोड़कर पूरा बेंच खाली है, चाहे वे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों। वे केवल घड़ियाली आँसू बहाने का काम करते हैं, अपने एम्प्लॉइज के हितों के लिए काम नहीं करते हैं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I have to inform that the time allotted to the discussion on the Resolution is over. As there are three more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for the discussion of the Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time is extended by one hour.

17.00 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

*SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Sir, if your sagacity permits, I would like to speak in my mother tongue Bengali.

Respected Chairman Sir, today a very important private members' resolution is being discussed in this House. Hon. Member Shri N.K. Premchandran has brought this resolution i.e. steps to ensure welfare of Employees Provident Fund Pensioners, and for us those who want overall welfare of the common people, it is a very significant matter. Our brothers and sisters, who are workers or employees, deposit money in their Provident Fund. The main objective behind it is that at the time of superannuation or after retirement, they can run their families without much problem. In an estimate of 2014-15, it can be seen that 3 crore 49 lakh persons have their PF accounts through 3 lakh 60 thousand organization. And the quantum of deposit is also not very less sir, it is to the tune of rupees 3 lakh 79 thousand 485 crores. Now, who is the beneficiary of this fund? It is for those people who have deposited the money, for their welfare and subsistence after retirement. They also expect that in case, the earning member dies, the members of his / her family, should not face any problem and do not starve. But in reality that is not happening. Shri Premchandran has brought this resolution to 'Restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees' Provident Fund Pensioners' and our party Communist Party of India (Marxist) entirely supports this resolution. We hope that Government of India will accept this. Our Hon. Minister of Labour is present here. He is very considerate, he thinks about the welfare of the workers so we expect that he will put forth a clear view of the Government on this issue.

The resolution to 'provide pension to the beneficiaries of EPF Pension on the basis of average salary of 12 months immediately preceding retirement moved by our Hon.Member Shri Premchandran, is a very justified demand. Sir if this is accepted then the employees will get a lump sum amount

when they retire, from their own fund, which they had created while they were working. This will mitigate the problems which people generally face after retirement. I hope respected minister will keep this in mind.

The third demand i.e. 'Ensure payment of full pension to the pensioners as per the Employees Pension Scheme 1995 after realization of full amount of commuted pension from pensioners is also highly justified and I fully endorse this demand. I hope that Hon. Minister will look into this aspect as well.

Hon. Chairman Sir, the fourth proposal which he has placed i.e. to increase minimum pension to Rs.3000 per month under EP Scheme 1995, is also a very reasonable demand. It does not merely affect the pensioners. People are raising a slogan saying that the sum of Rs.1000 which is being paid now is not adequate. Sir, kindly think, we are Members of Parliament, sitting here and discussing issues. If we go out and try to return home, Rs.1000 will be spent on transport by the time we reach the airport. Therefore how can a pensioner or his family survive the whole month on this sum of Rs.1000? Employees of the organized sector may be getting a little more amount, but what about the unorganized sector? Remember, today is July 29, bank employees of the entire country are on strike. Why? Earlier in my state, and I don't know about Maharashtra, the IAS – IFS officers were first considered to be well – off, thereafter, the doctors and engineers used to earn well and next in line were the employees of the banking sector. But today, see their plight. Right from the top officials down to the group D employees had to resort to strike. What are their demands? They are not merely fighting for themselves. They are not only asking for enhancement of their own salaries and perks; they are fighting for everybody. Chairman Sir, you are associated with labour movements, you are better aware of these issues. In our country about 40 to 42 crores workers belong to the unorganized sector. When these workers grow old, they do not have anyone to look after them. The person who has worked as a daily wage labourer, as a farm labourer, as a construction worker, as a carpenter, as a blacksmith, as a clay modeler, as a handloom weaver, when he becomes old do you think sir, that his family members or children have enough means to look after that person properly? They do not have money to even have two square meals a day. Therefore minimum pension should also be paid, not only to the people linked with Provident Fund or EPF Scheme but also to these poor, hapless people of the unorganized sector. This is a very justified demand of Mr.Premchandran. As a primary step; at least Rs.3000 should be paid to them. You are conducting the business of the House today and you would also appreciate the intention of this resolution. The Government should pay a minimum amount of Rs.3000 in order to help the poor labourers run their family. This is a reasonable demand which should be met. I hope that Hon. Labour Minister who is a sensitive person will offer his considered opinion in this regard and will ensure that the money is disbursed as early as possible.

It has been observed that after opening the PF accounts, everybody does not deposit money regularly, sometimes due to financial constraints they are not able to deposit. Moreover the problem arises when the account holder dies. The family members are then not always capable of claiming the money as they may not be aware of the procedure and rules. The paper work may be cumbersome and they have to run from pillar to post to get the claim cleared.

They write letters, once, twice or thrice but when they still don't get the deposit back, they give up. As a result the fund lies idle in the account. The amount of such unspent, unclaimed fund has touched about Rs.27,000 crores. Thus we should try to utilize this huge unclaimed sum for the welfare of the families of the pensioners. As Shri Premchandran has proposed, that a housing scheme can be started for these people, so that they get roofs over their heads. No one else can use this money, no other department is allowed to touch this fund. The sum of Rs.27,000 crores should be utilized for the benefit of the pensioners only, those who do not own a house, those who have no proper shelter. I whole- heartedly support this proposal of my fellow member.

In the year 1971, there was a provision in this scheme that 'Government of India will provide 1.16% of those amount which are being given by the persons inclined with the Provident Fund' which means Government would contribute 1.16% of the money being deposited. In the present scenario, employees' share of 1.16%, employer's share of 1.16% and Government's share of 1.16%, in total 3.48% is a meager amount Sir. So the share of the Government must be enhanced. Much water has flown through the Ganges since 1971. 29 years of the 20th century have passed. We are in the 16th year of the 21st century. So about 45 years have elapsed. But the old rate of 1.16% still continues. I think it will be increased and our Hon. Labour Minister will look into the matter and Government of India will look into the matter and it would be a very good decision from the side of the Government. The Government must take some steps in this regard.

Sir we have a good scheme in place, the Employees' State Insurance Scheme. The workers covered under this scheme get a health benefit which helps numerous workers. Sir can't we link this ESI Scheme with the persons covered by Provident Fund? I would request Hon. Labour Minister to consider this proposal so that the health facilities are extended to the PF beneficiaries. It is true that when people are young, they do not easily fall ill, but with old age, come various diseases. Thus the persons who sacrifice themselves for the country, who contribute to nation building should get health care benefits when they are not able to work anymore. The state should be a welfare state and if the common people get some assistance from the Government the dream of welfare state, in the true sense of the term, can be realized.

Now, I would like to say that we are pained to see the people of Ahmedabad purchasing tomatoes at Rs.80 per kg, people of Surat Purchasing tomatoes at Rs.100 per kg. we are pained because we can recall that in the year 2011, our Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat was the Chairman of a Committee. UPA Government was in power at that time. People of the country were very annoyed with UPA Government because prices of essential commodities were sky-rocketing.

To pacify the people, very intelligently, the UPA Government constituted a committee comprising 4 Chief Ministers of 4 states. Who were the members? The CM of Maharashtra Shri Prithwiraj Chauhan, CM of Andhra Pradesh Shri Kiran Reddy, CM of Tamil Nadu Shri Karunaidhi were the members of that Committee which was headed by our Hon.Prime Minister, the then CM of Gujarat, Shri Narendra Modi. The UPA Government gave them the responsibility to look into the reasons behind price rise. They did their job well and came out with 63 proposals to deal with price rise and to check escalating price. If I go on explaining those 63 proposals, this day will pass. So I will not go into the details. But one of the proposals highlighted the fact that the price of oil was one major cause of inflation. Only 20-30% of petrol, diesel, kerosene etc. which we require can be extracted from our indigenous sources, rest 70-80% have to be imported from outside. Price of oil in the international market fluctuates. Sometimes it rises to135 to 140 dollar per barrel, sometimes it come down to 26 dollars per barrel. Naturally when international oil price goes up, India has to purchase it paying a steep price and when price comes down, India has to spend less. Therefore the chairman of the said committee Hon. Modiji had

proposed that a static fund should be created so that the Government could contribute to it. At the time of oil price hike in the global market, that fund could be utilized for payment of bills and in the case of lower oil price, the fund would increase and in turn would act as a cushoning mechanism; the burden would not be on the common people. This was the contention. It was a very good proposal. Such a proposal was given to both UPA Government and the present Government by our party CPIM. But unfortunately, now after assuming the highest office of the state, Hon. Prime Minister of India, seems to have forgotten his own ideas. When he took oath on 26 May 2014, the global crude oil price was 126 dollar per barrel and in January 2016, oil price was 26 dollar per barrel. At present, the crude oil price is a low as 35 to 40 dollar a barrel. So sir, please think, when the global price was 126 dollars, what was the local oil price? And now when the oil price hovers around 26-40 dollars, oil price in almost the same as before in our country. Then how can the price of essential commodities be reduced? We had hoped that the proposals which our Hon. Prime Minister gave as Chief Minister of Gujarat would be implemented but that has not happened.

Sir, now let us read the election manifesto of BJP, Page No.4 of the manifesto contains very significant views of BJP. The first two pages contain a preface by Dr.Murli Manohar Joshi, the third page contains the contents and the fourth page enumerates the vision of the party. BJP had understood before election that price rise was an extremely sensitive and touchy issue. They knew that if they could promise to arrest price rise in the very beginning people would be impressed. Thus they tried to make people believe through their manifesto that the Congress Government had failed in every aspect. They had failed to check escalation of cost of essential commodities and family budgets had gone haywire.

If someone reads the BJP manifesto today, it would seem as if the present Congress Party is saying all these things. We have seen that not even a single promise has been fulfilled so far. Prices are shooting through the roof and the Government is not taking any steps whatsoever in this regard. Today we are talking about the welfare of the workers. But if the prices go on increasing, then you can very well imagine the plight of these poor people. As you know, their salaries are meager. The 7th Pay Commission, constituted for the Central Government Employees has proposed that the minimum salary would be Rs.18,000. The salary of our Cabinet Secretary will be Rs.2,50,000. But who will think about the hapless labourers, daily wagers? Sir, you have worked for the benefit of the common man, you have a socialist bend of mind, you think about the society. Do you know sir, how much do these labourers earn? Not more than 3000 or 4000 rupees. I was going through an estimate which showed that 90% of the population earn less then Rs.10,000 a month. The number of millionaires or billionaires must have increased in our country. But the gap between the rich and the poorest of the poor is widening day by day. Several schemes are being announced by the Central Government as well as the State Governments but the ground reality is not changing. People are agitating against price rise. Labourers, farmers, students, women, SCs, STs, OBCs minorities – people from every strata of society are contemplating major mass movements. What is the condition of the jobless persons in our country? Population is increasing by 2% every year. Keeping this in view, the employment opportunities should be increased. Government data show that there are 8 sectors which provide the majority of employment in the country like construction sector etc. I don't want to waste time by naming all the sectors. In last one year, only 1,30,000 people have got employment in these 8 sectors whereas more than one crore people have come to the job market in search of work. Just imagine the crisis. The deficit is increasing by leaps and bounds. The number of educated youth is increasing, numbers of semi – educated and uneducated youths are also increasing. There are crores of people who do not have any job. Sir, this situation is leading to unrest in various parts of the country like in Jammu & Kashmir. Our party CPIM is in favour of the unity and integrity of the nation. We want to fight against any disruptive and divisive forces along with the countrymen. But sir, if we delve deep into the issue, we will find that a boy called Burhan, who was involved in anti-national activities became a cohesive force for the outlaws. When he was killed, a procession was organized in his native village and about 1.5 lakh youth participated in the procession. I don't support the ideology of Burhan because unity of the country is supreme for Marxists. But can you imagine the impact of divisive forces on the young minds? How could so many people gather to mourn for a terrorist? This is not only an issue of Kashmir. I hail from a tiny State of North-East viz Tripura. Only 40 lakh people stay in Tripura. Kindly listen to what I say. I am from a small state, allow me speak. Have patience sir, there were insurgency problems in our state earlier. There was an acute problem of terrorism. There used to be a time when everyday people were murdered, abducted and looted. But gradually, through a joint coordination of the Left Front Government, common people, the paramilitary forces, the menace of insurgency was successfully tackled. The Government on one hand had undertaken developmental works, has created employment opportunities for young boys and girls, tried to create infrastructure. A small part of the Scheduled Tribe community was involved in the anti-national activities. The Government has addressed their issues and, I am not claiming that there is zero problem in Tripura now, but mostly the issues have been solved. It is a matter of pride for us that when our Hon. Prime Minister Modiji visited Tirpura recently, he held a meeting with our cabinet ministers and wanted to know how Tripura could tackle the problem of insurgency so effectively. It was possible only because of a sincere effort and intention on the part of the Government.

Sir, I am concluding in a few minutes. In field of social security, Tripura has been able to bring the working class together. When today we are humbly requesting the Government of India to enhance the pension amount from Rs.1000 to Rs.3000, what steps has the Tripura Government taken? We are trying to go to each household to find out if any poor family, family of labourer, farmer, weaver, artisan, factory worker is still deprived of the pension or allowances paid by the Government of Tripura. If any family is left out, we are including it in our scheme of assistance. Can you imagine? Allowances are paid to carpenters, motor mechanics, beedi workers, handloom weavers, physically handicapped, cancer patients, leprosy patients and all other categories of poor people from the State Government fund. In Tripura we are observing that the Left Front Government is working hard to safeguard the interests of the common, poor working class, for the ordinary people. When Tripura Government can do so much for the people, why can't the Government of India take some steps for uplift of the poor by paying them minimum pension? The interest rates of small savings are being reduced by the Government instead. There is onslaught on the labour laws. Under such circumstances, you must be aware sir, that on September 2, cutting across party lines, workers and common people will stage massive protest and observe all India strike.

I just hope that Central Government will take some measures and accept their demands so that the strike can be stopped. I request Hon. Labour Minister to look into the demands and as early as possible try to find an amicable solution in the interest of the general public. With these words, I thank you and conclude my speech.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा जो संकल्प सदन में लाया गया है उसके सभी मुद्दों के समर्थन के साथ साथ उसमें कुछ मेरी आशंकाएं भी हैं उसके ऊपर

बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रेमचन्दन साहब का संकल्प कहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को सारांशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ पुनःस्थापित करना, कर्मचारी भविÂष्य निधि पेंशन के लाभार्थी को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले बारह माह के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से सारांशीकृत पेंशन की पूरी राशि के कार्यान्वयन के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन तीन हजार रुपये प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, लगभग सत्ताइस हजार रुपये की अदावाकृत भविÂष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजना लागू करना, विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का संशोधन करना।

सभापति महोदय, अगला पाइंट है- कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन रु.3000/- प्रति माह न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, लगभग 27 हजार करोड़ की अदावाकृत भविÂष्य निधि राशि का उपयोग कर के पेंशन भोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना, विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करना, ये सात पाइंट हैं।

महोदय, जब यह संकल्प आया और जब मैं यहां सदन में था, तो मुझे लग रहा था कि इस पर बड़ी अच्छी चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सीरियसनैस है, वह दिखाई दी। माननीय जगदम्बिका पाल जी यहां बैठे हुए हैं। जब मैं उनके भाÂषण को सुन रहा था, तब मैं शरद त्रिपाठी जी को कह रहा था कि श्री पाल साहब इतनी तैयारी और इतनी जानकारी के साथ आए हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस देश के लिए, गांव, गरीब, किसान और मजदूर के लिए, वह सब दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट दिखाई दे रहा है।

महोदय, नेताओं के बारे में आपको पता है कि धीरे-धीरे जब आप लोग राजनीति करते थे, तब नेता समाज का एक आइना होता था और वह नेतृत्व करता था। उसके बारे में लोग अच्छी-अच्छी बातें कहते थे, लेकिन आज जब हम खादी के कपड़े पहन कर घूमते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं है, इसलिए ये नेता बन गए हैं। लोगों को लगता है कि ये चोरी-चकारी करने के लिए नेता बन गए हैं। आज जब इस लोक सभा में देखा, जहां आज कांग्रेस का एक भी सांसद उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में माननीय पाल साहब लगातार बातें कर रहे थे, तो मुझे आज लगा कि जनता गलत नहीं कहती है।

महोदय, अभी श्री शंकर प्रसाद दत्ता जी ने बड़ा अच्छा भाÂाण दिया और वह इसलिए दिया कि सीपीएम में बड़े-बड़े नेता हैं और वे जहां से आते हैं, वहां के मुख्य मंत्री ही लगातार मानिक सरकार साहब, किसी को कुर्सी ही नहीं दे रहे हैं। वे 15-20 साल से कुर्सी को पकड़े हुए हैं। उसी तरह से यहां अभी पश्चिम बंगाल के श्री मोहम्मद सलीम साहब और श्री पी. करुणाकरण यहां बैठे हुए थे। मैं लगातार दो साल से देख रहा हूं कि शंकर दत्ता साहब को बोलने का न मंच पर मौका देते हैं और न लोक सभा में मौका देते हैं, तो आज उन्होंने पेंशन के संकल्प पर बोलते हुए पेंशन से ज्यादा सीपीएम का एजेंडा ही लागू कर दिया। अच्छी बात है और अच्छा लगा कि कम से कम जो सीपीएम का पूरा काडर है, उसे पता चल गया कि शंकर दत्ता साहब सीपीएम के इतने जुझारू और प्रभावशील नेता हैं कि यदि सीपीएम में कभी नेतृत्व की कमी हो या कभी श्री येचुरी साहब को हटाना पड़े, तो शायद शंकर दत्ता साहब को मौका मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

महोदय, जब से मॉनसून सैशन प्रारम्भ हुआ है, तब से कांग्रेस, गांव, गरीब, किसान और दलितों के बारे में बात करती आ रही है। तब से कांग्रेस यदि किसी चीज की बात कांग्रेस कर रही है तो वह प्राइस राइज की बात कर रही है। वह कभी दलितों की बात करती है। रोज मुद्दा लेकर आती है कि गुजरात में यह हो गया, मध्य प्रदेश में यह हो गया और महाराष्ट्र में यह हो गया। लगता है कि यदि कांग्रेस नहीं रहेगी, तो दलितों की रक्षा ही नहीं होगी, लेकिन आज जब श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब इतना बढ़िया संकल्प लेकर आए हैं, तब एक भी कांग्रेस का सांसद यहां नजर नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, कल आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 'कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना' यदि यह सरकार ब्लैक-मनी बनाने के लिए सारे उल्टे-सीधे काम करने वाले बिजनेसमैन को रोक रही है, यदि कमीशन को इसने बन्द कर दिया है, यदि विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है तो इन कामों को रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है कि कभी वह जीएसटी रोक रही है, कभी प्राइस राइज की बात करती है, कभी दलितों की बात करनी है और कांग्रेस किस तरह से अनसीरियस है, आज इस लोक सभा के सदन का नजारा देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी शुभकामना है यदि कांग्रेस पार्टी इसी तरह से करती रही है। जनता इसका फैसला करेगी कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है।

सभपति महोदय, संयोग बढ़िया है कि आप चेयर पर बैठे हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब, जो संकल्प लेकर आए हैं, उससे एक बड़ा बिल लेकर मैं इसी 16वीं लोक सभा में आया था। दिनांक 14 जुलाई, 2014 को उसके ऊपर चर्चा हुई, लगातार चर्चा हुई, बहुत लम्बी चर्चा हुई। उस चर्चा में आपने भी भाग लिया था। वह चर्चा यह थी कि हमें एम्पलाई को यह देना चाहिए, यह आनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर को देना चाहिए और यह ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर को देना चाहिए। इससे अलग हटकर एक युनिवर्सिल पेंशन स्कीम की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं? हमने कहा था कि 50,000 करोड़ का नेशनल पेंशन फंड बनाना चाहिए। जिस तरह से पीडीएस सिस्टम है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट में 67,68,70 परसेंट लोगों को लेते हैं, उसी तरह से जिसे पेंशन लेनी है वह पेंशन ले। इस तरह से मिनिमम 5,000 रुपए का पेंशन इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीबी और अमीरी की रेखा बढ़ रही है, गरीब हमेशा और गरीब होता रहा है।

अब देश में ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट कहीं दरकता हुआ नजर आ रहा है। यह पूरे देश में हो नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आपको पता है कि शहरीकरण बढ़ रहा है। सरकार भी 100 स्मार्ट सिटी बना रही है, 500 अमृत सिटी बना रही है, इसके पीछे कारण यह है कि गांवों में यदि सुख-सुविधा कम मिल रही है, रोजगार के साधन कम हैं और यही कारण है कि लोग शहरों की तरफ जाते हैं। शहरों में किराया इतना ज्यादा देना पड़ता है, पैसा इतना कम मिलता है कि कोई भी व्यक्ति, अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का खर्चा यानी पढ़ाई, दवा-दारु, स्कूल में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मां-बाप को रखने में सक्षम नहीं हो पाता है। यही कारण है कि उसके मां-बाप गांव में छूट जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता है। मैं इसी वजह से बिल लेकर आया था, यहां जितने लोग हैं, उनको फिक्स कर लिया जाए कि इस इनकम के आधार पर यह होगा और उनको युनिवर्सल पेंशन स्कीम देनी चाहिए, भारत सरकार को 5,000 रुपए प्रत्येक महीना देना चाहिए। अब ब्रिटेन में ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट डैवलप हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं देखता हूं कि यहां लगातार चर्चा होती है कि 'मेक इन इंडिया' में क्या रोजगार दे दिया, रोजगार क्या बढ़ाया, इन्फलेशन हो गया, प्राइस राइज़ हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया में प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल बेरोजगारी यहां ही नहीं है, दुनिया के कोने-कोने में है। चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, सभी बेरोजगारी, मुद्रास्फीति से, मार्किट में जो हालात हैं, में डूबे पड़े हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे राज्य में पेंशन सिस्टम लागू हुआ कि 60 साल से ऊपर होंगे तो पेंशन दी जाएगी। यह कनाडा में भी हुआ। यही कारण है कि वहां बेरोजगार बच्चे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वे सब अपने मां-बाप के पास वापस जा रहे हैं, चाहे प्यार से जाएं, अपने आप को बचाने के लिए जाएं या दाल-रोटी के लिए जाएं। इसी तरह से अगर भारत सरकार करती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारत जो ज्वाइंट फैमिली कन्सेप्ट का सिरमौर हुआ करता था, फिर से कामयाब हो जाएगा।

सभापति जी, आपने पेंशन स्कीम पर बात करते हुए बहुत अच्छी बात कही थी। मैं आप ही कविता को दोहराना चाहूंगा जिसे आप लगातार समाजवाद में दोहराते रहते हैं -

धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर मरते,

फिर भी पेट नहीं भरता है, जीवन कटता रो-रो कर,

हम चलें बसाएं नया नगर, चलो बसाएं नया नगर।

जहां न हो छोट-बड़ाई, गले मिलें सब भाई-भाई,

ऊंच-नीच का भेद न होवे, सुख की होवे डगर-डगर,

चलो बसाएं नया नगर, चलो बसाएं नया नगर।

2014 में माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। अनआर्गेनाइज सैक्टर, गांव-गरीब किसान की बात करें, कांग्रेस की बात करें। रमेश बिधूड़ी जी और जगदम्बिका पाल जी ने बहुत स्कीम्स के बारे में बताया, 'दीन दयाल ज्योति' योजना क्या है, पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है, हम किस तरह से स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं, रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी कविता इस सरकार पर क्यों लागू है?

सभापति महोदय, लोगों ने वर्ष 2014 में मोदी जी को क्यों वोट दिया? उसका कारण यह है कि जिस पैंशन स्कीम, जिस गांव, गरीब किसान की बात करते हैं, जिस अनआर्ग्नाइज्ड सैक्टर की बात

करते हैं, जिस वाइल्ड लेबर की बात करते हैं, उस देश का प्रधान मंत्री चाय बेचते हुए आज यहां तक पहुंच गया है। उनको पता है कि पेंशन से क्या फायदा होने वाला है? उनको पता है कि इस देश में गरीबी का क्या मतलब है? यहां लेबर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उस दिन वे खुद ही बोल गये कि इन्होंने पढ़ाई भी की और काम भी किया। यदि वे काम नहीं करते तो परिवार सस्टेन नहीं कर सकता था। आज वे यहां तक पहुंच गये।

मंत्री जी, आपने ही उस दिन भाÂषण देते हुए कहा कि हमने पंचायत से शुरू किया और वहां से उठते-उठते पार्लियामेंट तक पहुंच गये। जब इस तरह के लोग शासन व्यवस्था में आते हैं, चीजें आती हैं, तो निश्चित तौर पर कैसे विकास होगा, इस बारे में अपने आपको पता चलता है।

सभापति महोदय, पेंशन के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं। भारत में पेंशन का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पेंशन की स्कीम लागू हो गयी और हमने लागू नहीं की। रॉयल कमीशन, सिविल ऐस्टेब्लिशमैंट वर्ष 1881 में आया। गवर्नमैंट इम्प्लायज को क्या बेनीफिट दिया जायेगा, यह हमने वर्ष 1881 से शुरू किया। वर्ष 1881 के बाद आज हम 2016 में यहां हैं, तो इसका मतलब है कि इसे डेढ़ सौ साल होने को है। लेकिन आज क्या स्थिति है? आप चाहे पब्लिक सैक्टर की बात कर लीजिए, चाहे सरकारी सैक्टर की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, हम केवल दस परसेंट व्यक्तियों को ही आज पेंशन देने की स्थिति में है। उनको आज पेंशन मिल रही है या वे किसी न किसी पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। इस देश के 90 परसेंट व्यक्ति इस पेंशन से वंचित हैं। यह किसका दोÂष है?

सभापति महोदय, वर्ष 2014 में इंटरिम बजट था, लेकिन यदि आप वर्ष 2015 और 2016 का बजट देखेंगे, तो माननीय मोदी जी की सरकार और हमारे वित्त मंत्री माननीय जेटली साहब हमेशा यही कह रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है। हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारी यह ताकत है कि हमारे पास 35 साल के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वह जो हमारा पापुलेशन डिविडेंट है, जो युवाओं का डिविडेंट है, उस कारण से हम दुनिया पर राज करने की स्थिति में हैं। लेकिन रूल करने वाले एक चीज लगातार भूल गये कि यदि किसी देश में युवा बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वहां वृद्धों की भी संख्या बढ़ेगी। यदि हम सबसे ज्यादा युवा वाले देश होने वाले हैं, तो वर्ष 2035 तक यह सिचुएशन हो जायेगी कि दुनिया का सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी, यानी 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वे भी इसी हिन्दुस्तान में होंगे। उसके लिए क्या हो रहा है?

सभापति महोदय, हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें केवल युवाओं की बात नहीं करते। हम उनकी बात करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद कौन से लोग दोÂषी हैं, यह समझने की आवश्यकता है कि डेढ़ सौ साल पहले, यानी वर्ष 1881 में जिस देश में पेंशन स्कीम लागू हुई, वहां आज भी 90 परसेंट लोगों के पास पेंशन नहीं है, तो उसका दोÂषी कौन है? यही कारण है कि माननीय मोदी जी की सरकार वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में यूनीवर्सल पेंशन स्कीम की ओर बढ़ रही है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, मैं उन सबमें नहीं जाना चाहता। हम इसी तरफ जाना चाहते हैं कि हमने गांव, गरीबी, दलित, मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को देखा है और उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यह सरकार उनकी व्यवस्था के लिए जागरूक है। यही कारण है कि जब हमारी सरकार आयी, उस वक्त हम जब यह बिल लेकर आये, उस वक्त पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स से छोटे-छोटे लोग कहते थे कि हमें दस रुपये, बीस रुपये, पच्चीस रुपये पेंशन मिल रही है। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में कई लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक ही पद पर लोग रिटायर हुए हैं जैसे 'वन रैंक वन पेंशन है।' यह बहुत बड़ा सवाल था, इसे हमारी सरकार ने लागू किया। यही कारण है कि हमारी सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। जिनको दस रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये या 50 रुपये पेंशन मिलती थी, उसको हमारी सरकार ने कहा कि अब मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिलेगी। मुझे लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है, जिसकी बात मैं कहा रहा था - यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, वह लागू हो सकेगी। इस देश में जो 90 प्रतिशत लोग पिछड़े हुए हैं, जो आज भी किसी भी योजना से अछूते हैं, जिनके लिए बुढ़ापे में दाल-रोटी की प्रॉपर व्यवस्था कर पाने अपने को कमजोर पाते हैं, उनके लिए भारत सरकार 5000 रुपये ही नहीं, उससे भी ज्यादा पेंशन की व्यवस्था करेगी। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है।

पेंशन के लिए इस देश में बहुत से कानून आए, लगातार कानून आते हैं, इसीलिए मुझे कभी-कभी इससे परेशानी भी हो जाती है। वर्ष 1881 के बाद, वर्ष 1921 और 1935 में कानून आए। आजादी के पहले का यह सारा इतिहास है। वर्ष 1881 में एक कानून आया, फिर 1921 में कानून आया और फिर 1935 में कानून आया और ये सभी कानून पेंशन की तरफ ही बढ़ रहे थे। हमारे यहां पेंशन का कानून वर्ष 1881 में लागू हुआ और जर्मनी में हमसे बाद में, वर्ष 1889 में सोशल सिक्योरिटी कानून लागू हुआ। आज जर्मनी सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बिल पावर की बात है। यहां बैठे हम सभी लोगों को अंदर झांकने की आवश्यकता है कि कानून तो हम बना देते हैं, दिशा तो हम बना देते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, अन्य चीजें कहां से आएंगी, रोजगार के साथ कहां बढ़ेंगे, इन चीजों को हम नहीं देखते हैं। शंकर प्रसाद दत्ता जी ने बोलते हुए एक कमेटी की बात कह गए। वह बड़ी लम्बी-चौड़ी बात है, उसका इस पेंशन स्कीम से कोई बहुत मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राइस राइज हो रही थी, उसके लिए एक कमेटी बन गयी, उस कमेटी की अध्यक्षता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब कर रहे थे। उनके अपने विचार हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कैसे निर्धारित होने चाहिए, अन्य चीजें कैसे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो नई-नई ज्वॉबनॉविंग सीपीएम और कांग्रेस के बीच चल रही है, उससे वे बड़े प्रभावित हैं। आप यह समझिए कि कोई भी सरकार होती है, मैं विÂाय से थोड़ा डिविएट कर रहा हूं क्योंकि ऐसी बात आई है और वे प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, टू-जी और कोलगेट बहुत बड़े विÂाय आए। टू-जी में क्या हुआ? टू-जी में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट कम-फर्स्ट गेट बेसिस पर दिया गया। उसके लिए कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि हम कन्ज्यूमर को कम पैसे में टेलीफोन मुहैया कराना चाहते हैं, इसी कारण से हम इसका ऑक्शन नहीं करेंगे। यदि हम उसका ऑक्शन करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ जाएगा तो नाक इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए बात बराबर हो जाएगी। आपको पता है कि इसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ। फिर इस देश के लोगों ने कितना बड़ा मैंडेट माननीय मोदी जी को दिया। जब हमारी सरकार आई तो हमने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया। आपको पता है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ और अभी फिर से लम्बा-चौड़ा ऑक्शन होने वाला है। छः लाख से सात लाख करोड़ रुपये का बड़ा टारगेट हमने फिक्स कर रखा है। हम-आप मोबाइल यूज करते हैं, क्या ऑक्शन के बाद भी आपको लगता है कि मोबाइल का टैरिफ बढ़ गया है? नहीं बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? यही हाल कोलगेट में हुआ। कोलगेट में अभी केवल छोटे से ब्लॉक की नीलामी हुई है, उसमें ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये मिले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम हुआ था। आज इस देश में सरप्लस बिजली मौजूद है। बिजली के खरीदार नहीं हैं और बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ा है। बिजली का टैरिफ घट रहा है, क्योंकि जब बिजली का कोई खरीदार ही नहीं है, तो टैरिफ नहीं बढ़ रहा है। इसलिए जिन लोगों ने कैप्टिव कोल के नाम पर कोल ब्लॉक लिया था, उसी तरह से आप कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कंज्यूमर्स को पास-ऑन होने दीजिए। आप यह बताइए कि आज कितने लोग गाड़ियों में चलते हैं। हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दत्ता साहब आप लोक सभा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। आप इतने सीनियर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कितने लोग होंगे, 5 या 7 प्रतिशत सांसद होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लोग आज भी उपयोग करते हैं। इसलिए पैट्रोल और डीजल किस कंज्यूमर को देना चाहते हैं? आप एफ्लुएंट क्लास को देना चाहते हैं।

दूसरे, यदि आपको लगता है कि टैरिफ डीजल से बढ़ जाएगा, किसानों की उत्पादन कॉस्ट यदि बढ़ जाएगी, तो उसके लिए रास्ते हैं। रास्ता यह है कि आप उनको सब्सिडी दीजिए। कोई ऐसा राज्य नहीं है जैसे किसानों को 300-400 प्रतिशत सब्सिडी अमेरिका जैसा देश दे रहा है। आप किसी चीज को भटकाऊ मत करिए। यह पैसा भी जमा हो रहा है। सैस में, टैक्स में पैसा जमा हो रहा है। यदि टैक्स हम ले रहे हैं तो कल वित्त मंत्री जी ने भी जवाब देते हुए कहा कि 42 प्रतिशत पैसा हम राज्यों को दे रहे हैं और केवल 58 प्रतिशत पैसा हम रख रहे हैं। इसके बाद जो सैस ले रहे हैं, उस सैस में हम पूरा नेशनल हाईवे बना रहे हैं। हम रेल बना रहे हैं। 160 जगहों पर छोटे-छोटे एयरपोर्ट हम बनाने वाले हैं। स्वच्छ भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 100 स्मार्ट शहर हम बनाना चाहते हैं। यदि पैसा नहीं लेंगे तो फिर कहां से यह पैसा आएगा? या तो हम चोरी करें या कमीशन लें नहीं तो विश्व बैंक या आई.एम.एफ. से हम पैसा लाकर अपने देश की जनता को दें। या तो कुछ लोग पैट्रोल या डीजल की गाड़ी का उपयोग करते हैं, उसको हम पास-ऑन नहीं करें नहीं तो हम विश्व बैंक या आई.एम.एफ. से पैसा लेकर आएं। यहां के जो बच्चे पैदा होंगे, उनके ऊपर लाखों लाख करोड़ रुपये का कर्जा हम उनके पैदा होने से पहले ही उन पर छोड़ दें। रास्ता क्या है? इसीलिए जो यह थ्योरी है, हमें नहीं लगता है कि यह इसके लिए उचित है।

आई.एल.ओ. का रिजोल्यूशन पेंशन स्कीम में है। आई.एल.ओ. का कंवेंशन का जो 102 नम्बर है, वह पूरी दुनिया के लोगों को कहता है:-

- Covering minimum standards of social security like medical care, sickness benefit, unemployment benefit, old-age benefit, invalidity benefit, employment injury benefit, family benefit, maternity benefit and survivor's benefit is very much important . आईएलओ में 1950 में यह एडॉप्ट हुआ और पूरी दुनिया के लोगों ने इसके ऊपर सहमति दी। आज 67 साल बाद हम इसमें से कितनी चीजें कर पाएं? जब आप वर्कर्स को बैनेफिट्स देने की बात करते हैं, ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि सरकारी संकल्प पर चर्चा के लिए समय लगभग पूरा हो चुका है। चूंकि चर्चा में भाग लेने के लिए दो माननीय सदस्य और बचे हैं, इसलिए हमें संकल्प पर चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि सभा सहमत हो तो संकल्प पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है। समय बढ़ाया गया। इस संकल्प का निर्धारित समय खत्म हो गया । इसलिए संकल्प पर चर्चा का समय बढ़ाया गया।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, समझने वाली बात यह है कि हम कितना लागू कर पाए हैं और सारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि ठीक है, सरकार में हम हैं और मैंने बताया कि दो साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से हम नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं। वÂान 1950 का जो हमने रिजोल्यूशन आई.एल.ओ. में पास किया,

जिसके हम सिगनेटरी हैं, 67 साल बाद हम इसकी आधी चीजों को भी लागू नहीं कर पाए हैं। संविधान बना। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। आपको पता है कि आर्टिकल 14 और 21 के आधार पर किस तरह से इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और आरक्षण की व्यवस्था कितनी जरूरी थी, यह बात सभापति जी, आपसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता है।

आर्टिकल 14 कह रहा है कि

> "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

यह आर्टिकल 14 है। हमारे फोरफादर्स ने वर्ष 1950 में संविधान बनाया है। 67 साल बाद आप यह चर्चा कर रहे हैं कि दलित को वहां मार दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, तो आज तक जो सामाजिक समरसता बिगड़ी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा दिनों तक जिसने शासन किया, सभापति महोदय वह दोÂषी होगा, न कि हमें आप दोÂषी ठहरायेंगे कि दो साल में हम ने सब चीज बिगाड़ दिया। जन्म का बिगड़ी अब क्या सुधरी, वाली हालत है। आपने जो बिगाड़ कर रखा है, उसको सुधारने में भी वक्त लगेगा।

सभापति महोदय, आप बताइए। सी.पी.एम. के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने वर्ष 1977 से लगातार वहां शासन करते रहे। आपने वहां क्या किया? आज बंगाल की हालत क्या है? मैं झारखंड राज्य से आता हूं, इसलिए मैं उसे समझता हूं। वर्द्धमान में ब्लास्ट हो जाये, कलियाचक में हो जाये और संथाल परगना का पूरा का पूरा एरिया इससे परेशान होता है। डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो बहुत बढ़िया स्कीम है, यह गरीबों तक जायेगा। यदि पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे तो उसमें डी.बी.टी. का सबसे बड़ा रोल होगा, कल राज्य सभा उसके लिए बंद रहा। यदि उसमें एकाध समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए बैठा जा सकता है, लेकिन इसमें कारण क्या है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध यह कर रहे हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ-ईस्ट, बिहार, झारखंड, जिसका पूरा डेमोग्राफी बंद गया, जिसके कारण असम में हमारी सरकार आई, त्रिपुरा जो भोग रहा है, बांग्लादेश से बॉर्डर सटा हुआ है, जिसका कोई अता-पता नहीं है कि हमारे देश का नागरिक है या नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते जब यह बात हम बोलने जाते हैं तो लोगों को यह हिन्दू-मुस्लिम समझ में आता है। यह हिन्दू-मुस्लिम का सवाल नहीं है। इस देश में रहने वाले सभी धर्म के लोग चाहे वे हिन्दू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं। इस देश को बनाने में सभी का योगदान है। लेकिन यदि वे बांग्लादेश के लोग हैं तो धर्म के आधार पर आप बांग्लादेश के लोगों को कहेंगे कि आप आ जाओ। वोट बैंक की राजनीति के आधार पर आप कहेंगे कि आप आ जाओ। डायरैक्ट बेनिफिट स्कीम के कारण लाखों-लाख करोड़ रुपये बचे, जिसके कारण पता चला कि कितने लोगों हम फेक किरासन तेल दे रहे थे, कितने लोगों को गलत गैस का कनेक्शन दे रहे थे।

इसी तरह से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के जो स्कीम्स हैं। हम पैसा बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जेनुइन लोगों को यदि सीधा यह ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं और यदि यह पेंशन स्कीम भी लागू हो जायेगा तो वे उसका विरोध करते हैं। मेरा यह कहना है कि यदि इसी तरह से राजनीति होती रहेगी, तो आपके परपस कहीं न कहीं टूट जायेंगे, खत्म हो जायेंगे और इसके लिए अपने-आप को सोचने की आवश्कयता है। इसके लिए त्रिपुरा की सरकार, बंगाल की सरकार और नॉर्थ-ईस्ट की सरकार को ज्यादा सोचने की आवश्यकता है और ब्लेम उसको देने की आवश्यकता है, जो 67 साल में कुछ नहीं कर पाये। आजादी के 70 सालों के बाद हम इस तरह की बातें कह रहे हैं कि आप हजार रुपया नहीं बल्कि तीन हजार रुपया दीजिए, तीन हजार रुपया नहीं पांच हजार रुपया दीजिए। हमारे देश के नागरिक जिनके वोट के आधार पर हम यहां माननीय सांसद बन कर आये हैं, उनको हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम भारत सरकार से उनके लिए भीख मांग रहे हैं, क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया। सिंगापुर जैसा छोटा-सा देश, जहां कोई माइन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, चीजें नहीं है, वहां कुछ नहीं था, वह हमारे बाद स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज वह इंफ्रास्ट्रक्चर में हम से सबसे ज्यादा आगे है। सभी सिंगापुर में बचना चाहते हैं, साफ-सफाई देखना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं। वहां इस तरह के मकान के स्कीम है, यहां पेंशन की स्कीम है, वह पूरे एशिया के लिए देखने वाली बात है। इसका कारण है कि हमने इतने वर्षों में नहीं किया। उसी तरह से आर्टिकल 41 है। यह जो पूरा पेंशन स्कीम है, यह यदि आप देखेंगे, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ था। पहले था कि शिकारी आयेगा, जाल बिझायेगा, दाना डालेगा, लेकिन आप उसमें फंसना नहीं, ठीक उसी तरह की बात है। सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमने उस तरह से कोई काम नहीं किया है। संविधान का आर्टिकल 41 कह रहा है कि

> "The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

आर्टिकल 41 के ऊपर आज तक हमने क्या काम किया है? बेरोजगारी दूर करने के लिए मेक इन इंडिया तो हमारी सरकार लेकर आयी है, स्टैंड-अप योजना, स्टार्ट-अप और मुद्रा योजना हम कर रहे हैं ताकि अनइम्प्लायमेंट खत्म हो। आपको यह समझना होगा कि सरकार पूरी की पूरी पेंशन नहीं दे सकती है। उसके लिए इम्प्लायी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। इम्प्लायी कंट्रीब्यूशन के लिए इंडस्ट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, इंडस्ट्री की आवश्यकता है। हमने क्या किया है? उसी तरह से आर्टिकल 42 है।

> Article 42 says:
>
> "Provision for just and humane conditions of work and maternity relief -- The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. "

उसके बाद आर्टिकल-41, 42 और 43 है। आर्टिकल-43 कहता है-

> Article 43 says about the living wage, etc., for workers जिसके आधार पर पूरा का पूरा संकल्प लेकर प्रेमचंद्रन जी आए हैं।
>
> Article 43 says:
>
> "Living wage, etc, for workers -- The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas."

सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। संविधान की बात करते हैं। यहां सभी लोगों ने लंबे-लंबे भाषण दिए हैं, जब प्रधानमंत्री जी संविधान को फिर से दोहराना चाहते थे। अम्बेडकर जयंती पर लगातार बातें कही गयीं कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे। आज तक संविधान के आर्टिकल-42,42 और 43 क्यों नहीं लागू किए गए? आर्टिकल-14 की बात है तो कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। आप यह देखें कि यदि ओबीसी को सरकारी सेवाओं में आरक्षण मिला है तो वह कब मिला है? वह वर्ष 1990 में मिला, इसका मतलब यह है कि हम वर्ष 1947 में आजाद हुए और हमें 43 साल तक संघÂर्ष करना पड़ा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब और किसके सामने आयी थी? सवाल यह है कि आप यदि विकास नहीं करना चाहते हैं, यह देश विकसित नहीं होगा, यदि देश में इंडस्ट्री नहीं होगी तो किस तरह से यह सारी चीजें हम लागू करेंगे। आज किसी भी स्कीम के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले इंश्योरेंस की आवश्यकता है। प्राइवेट सैक्टर के अस्पताल हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं। तरह-तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। दुर्घटनाएं होती हैं। यदि किसी परिवार का एक व्यक्ति कमाता है और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। हम लड़कर ज्यादा से ज्यादा केवल दस हजार रुपए तक ही तो दिला सकते हैं। इतने पैसों में एक विधवा कैसे अपना जीवन-यापन कर सकती है? वह कैसे अपने बच्चों को लिखा-पढ़ा सकती है? अभी दो तेजिस्लेशंस की आवश्यकता है। यदि इलाज भी कराना है, दुर्घटना का पैसा भी देना है और शिक्षा के लिए भी पैसा देना है तो इंश्योरेंस सैक्टर को बढ़ाना है। इंश्योरेंस सैक्टर में हमारी निर्भरता सरकारी इंश्योरेंस कम्पनी में थी, उसे किसने खत्म किया है। उसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने समाप्त किया। यदि इंश्योरेंस में कोई संशोधन लेकर आया कि 26 प्रतिशत यदि प्राइवेट सैक्टर के लोग इंश्योरेंस में आए तो यह काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। दूसरा संशोधन यह था कि यदि 26 परसेंट से काम नहीं निकल रहा है तो इंश्योरेंस में 49 प्रतिशत एफडीआई की आवश्यकता है। इसे माननीय मोदी जी लेकर आए। इस बीच में आप बताएं कि अटल जी से लेकर मोदी जी तक गांव, गरीब, किसान की इंश्योरेंस की बात, उनके लोगों की बात किसने

की है?

महोदय, दूसरी बात पेंशन की है। पेंशन के लिए यह बात तय हो गई है और पूरी दुनिया में ऐसा है कि कोई भी सरकार सभी लोगों को पेंशन नहीं दे सकती है। पेंशन देने के लिए एम्प्लाइज़ डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि पेंशन के लिए जो लेजिस्लेशन लेकर आया, वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया। आठ-नौ साल तक कांग्रेस की सरकार पीएफआरडीओ को कानूनी दर्जा नहीं दे पाई, केवल एग्जिक्यूटिव आर्डर से होता था। एक दिन तो आश्चर्य हो गया कि जब इसे कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया गया तो कांग्रेस की बैंच में लोग नहीं थे, उनके पास कोरम नहीं था।

माननीय सभापति: श्री निशिकांत दुबे जी, आप अपने भाÂषण को आगे जारी रखेंगे। समय पूरा हो गया है।

माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 1 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 1100 बजे तक स्थगित की जाती है।

18.00 hours

The Lok Sabha then adjouirned till Eleven of the clock on Monday, 1st August, 2016, Shravana 10, 1938 (saka)

---

* ण्ड्ढ म्श्र्द अ ङ्ढद्धत्ड्ढड्ड ङ्डदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दङ्ढड्ढ दृढ ङ्ढ ग्ड्ढश्ड्ड्ढद्ध त्दड्डत्हङ्ढय्ड्ढद्म् ण्ढद्य् ण्ड्ढ द्र्वड्ढद्य्त्दृद ङ्ढद्म् ङ्हय्द्वङ्ढथ्न् ङ्तत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ ड्न् ण्ढद्य् ग्ड्ढश्ड्ड्ढद्ध.

* ग़दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ड्ढड्ड.

* Lङ्तत्ड्ड दृद ण्ड्ढ ङ्डथ्ड्ढ.

* ग़दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ड्ढड्ड.

* ग़दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ड्ढड्ड.

* Eदथ्त्द्र्ण् य्द्धङ्तदथ्ङ्तय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्त्दङ्तथ्न् ड्डड्ढथ्त्थ्ड्ढद्धड्ढड्डड्ड त्द ङ्तर्त्थ्.

* Eदथ्त्द्र्ण् य्द्धङ्तदथ्ङ्तय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् दृद्धश्त्दङ्तथ्न् ड्डड्ढथ्त्थ्ड्ढद्धड्ढड्डड्ड त्द व्ङ्तदथ्ङ्त.